

FORM NO. III

फर्द अहकाम
(नियम 26)

अज अदालत :- अतिरिक्त जिला कलेक्टर, बाली जिला पाली राज.

प्रार्थी:-

बनाम

अप्रार्थीगण :-

विकास अधिकारी पंचायत समिति, देसूरी

1. रामसिंह पुत्र भानसिंह जाति राजपुत निवासी देसूरी तह. देसूरी पाली
2. सरपंच ग्राम पंचायत देसूरी।

किस्म मुकदमा : पंचायत निगरानी संख्या : 156/2024

(जी.सी.एम.एस. प्रकरण संख्या : 2024/352)

पंचायत निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राज. पंचायती राज. अधिनियम, 1996

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामिल म जारी हुये
------------	---------------------------------	---

11.03.2024 पत्रावली पेश हुई।
राजस्व (ग्रुप-2) विभाग जयपुर की आज्ञा क्रमांक प. 7(15)राज/2022 दिनांक 25.05.2022 की अनुपालना में श्रीमान् जिला कलेक्टर महोदय पाली के पत्रांक/ कोर्ट/2024/83 दिनांक 05.02.2024 के द्वारा स्थानांतरित होकर इस न्यायालय को प्राप्त हुई। प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर पक्षकारान/वकुलाय को सूचित होकर पत्रावली दिनांक 08.05.2024 को पेश हो।
अतिरिक्त जिला कलेक्टर, बाली

क्र: 462
दिनांक: 15/03/24
की नोटिस जारी।

21/5/24 वकुलाय राज. पंचायत पीठासीन अधिकारी श्री. श्री. श्री. पधार है। पत्रावली दिनांक 08/05/24 को पेश हो।

24/5/24 पञ्चायती उद्घरण हुई। ग्रामी अग्रार्थी लं 2 बाकउड मूल्य पर तारीख अग्रपत्रावली अग्रार्थी लं 1 का नोटिस जारी तारीख मूल्य होने के कारण ग्राम उग्रार्थी है।
पञ्चायती का अग्रपत्रावली दिना. गण. विकास अधिकारी द्वारा वर्ष 2017 में ग्राम निगरानी उद्घरण की है जब कि अग्रार्थी लं 1 की मूल्य 25 वर्ष शर्त की हो चुकी है जो अग्रार्थी 1 को जारी नोटिस के पत्र पर तारीख कुतिला की रिपोर्ट से स्पष्ट है।
अतः ग्राम सिद्ध है कि निगरानी मूल्य व्यक्ति के निरस्त उद्घरण की गई है जो चर्च के योग्य नहीं है।
अतः उद्घरण निगरानी शर्तों की बाकउड निगरानी कर्ता के निर्देशित किया जाता है कि मूल्य व्यक्ति के स्थान पर उक्त विधि का बारीकात के निरस्त निगरानी उद्घरण की जाय। अग्रार्थी लं 1 के पत्रावली लं 1 का नोटिस जारी दिनांक अग्रार्थी लं 1 (पञ्चायती फोनल बुला होकर नम्बर के अग्रार्थी लं 1)
अतिरिक्त जिला कलेक्टर
बाली, जिला-पाली